

(39)

TO BE PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA, PART II,
SECTION 3(11) ✓

GOVERNMENT OF INDIA
(BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(GRIH MANTRALAYA)

New Delhi, the 22nd April, 1976.

NOTIFICATION

S.O. 1569 .- In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Administrators of all Union territories (whether known as Lieutenant Governors, Chief Commissioners or Administrators) shall, subject to the control of the President and until further orders, also exercise the powers and discharge the functions exercisable or dischargeable by a State Government as the appropriate Government under sections 6, 7 and 9, sub-section (2) of section 12 and section 16 of the Equal Remuneration Act, 1976 (25 of 1976); within their respective Union territories.

NO.U-11030/2/76-UTL ✓

H.C. Bakshi
(H.C. BAKHSI)

UNDER SECRETARY, TO THE GOVERNMENT OF INDIA.

To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri Industrial Area
(Near Rajouri Garden), Ring Road,
NEW DELHI.

भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3(iii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख 22 अप्रैल, 1976

अधिसूचना

—:—:—:—:—:—

का०आ० 1569 राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसारण में, निदेश देते हैं कि सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक (चाहे उनका उपराज्यपाल, मुख्य आयुक्त या प्रशासक जो भी नाम हो), राष्ट्रपति के नियंत्रणधीन और आगे आदेश होने तक, अपने-अपने संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25) की धारा 6, 7 और 9, धारा 12 की उप-धारा (2) और धारा 16 के अधीन समुचित सरकार के रूप में, किसी राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियों का प्रयोग और निर्वहण योग्य कृत्यों का निर्वहन करेंगे।

(संख्या: यू०-11030/2/76-यू०टी०एल०)

एच. सी. बख्शी

(एच० सी० बख्शी)

जवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,